

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: पं.6(1)चिस्वा/2/2023 ईफाइल नं 16292

जयपुर,दिनांक:

निदेशक (जन.स्वा.),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज.जयपुर।

विषय:-डॉ. अंजू गोयल शर्मा, प्रमुख विशेषज्ञ (पैथोलोजी) राजकीय जिला चिकित्सालय जयपुरिया, जयपुर को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अंजू गोयल शर्मा, प्रमुख विशेषज्ञ (पैथोलोजी) (जन्म तिथि 20.06.1962) राजकीय जिला चिकित्सालय जयपुरिया, जयपुर जो दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. अंजू गोयल शर्मा के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है, भी सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(निशा मीना)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय जयपुरिया, जयपुर।
3. डॉ. अंजू गोयल शर्मा, प्रमुख विशेषज्ञ (पैथोलोजी) राजकीय जिला चिकित्सालय जयपुरिया, जयपुर निदेशक (जन. स्वा.)।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref  
6826649



Signature valid

Digitally signed by Nisha Meena  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.05.04 17:55:11 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
दिनांक : 13-5-2024  
क्रमांक : ई/चि.अ./ए-784/2024/108

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प06(01)चिस्वा/2/2023/ई-फाईल-16262 जयपुर दिनांक 04.05.2024
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय, जयपुरिया, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध आप अपने कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन के संबंध में जांच कर लें।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करे ।
7. डॉ0 अंजू गोयल शर्मा, प्रमुख विशेषज्ञ (पैथोलोजी) द्वारा उनके नियन्त्रण अधिकारी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref  
7068021

Document certified by RAVI PRAKASH  
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi  
Prakash Sharma  
Designation: Additional Director  
Date :13-05-2024 11:41:02